

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री अजय कुमार सिंह पे० श्री विजय कुमार सिंह, याम श्रीनगर पो० रामनगर महेश, थाना- श्रीबगर, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके बाग से एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञाप्ति सं०-०३/२००६(कुमारखंड थाना) पर धारित शस्त्र सं०-ए.९९३। निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि श्रीनगर थाना से इसकी कोई सूचना नहीं मिलने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने भविष्य में कोई गलती नहीं करने एवं शस्त्र अनुज्ञाप्ति को बिलबल से मुक्त करते हुए निरीक्षण कराने का मौका देने का निवेदन किया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक १६८/शस्त्र, दिनांक १२-१२-२०१३ के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को अनुज्ञाप्तिधारी उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा समर्पित नहीं करने के कारण शस्त्र नियमावली-१९६२ की नियम-६३ एवं आज्ञेयास्त्र अनुज्ञाप्ति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन जानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञाप्ति सं०-०३/२००६(कुमारखंड थाना) को तत्कालिक प्रभाव से बिलबित करते हुए अनुज्ञाप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाब आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र ४० वर्ष अंकित किया है। इनके द्वारा यह कहा जाना कि श्रीनगर थाना द्वारा शस्त्र भौतिक सत्यापन हेतु कोई सूचना निर्गत नहीं की है, जबकि जिला स्तर से मधेपुरा जिलाकार्गत सभी अनुज्ञाप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में विवरण समर्पित करने हेतु आम सूचना समाचार पत्र के गांधारम से निर्गत किया गया था। इनके अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके अनुज्ञाप्ति का नवीकरण वर्ष २०१४ तक के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा द्वारा एवं भौतिक सत्यापन जिला स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारी या अंचल स्तर पर अं.अ. कुमारखंड द्वारा किया गया है, जो वर्ष २०१३ तक ही किया गया है। इसलिए श्रीनगर थाना से किसी प्रकार का सूचना निर्गत किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अनुज्ञाप्तिधारी का यह कथन पूर्णतया मज़बूत एवं सत्य से पड़े हैं, जो अनुज्ञाप्ति शर्त के विव्यूल विपरीत है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अनुज्ञाप्ति शर्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-१७ का उल्लंघन जानते हुए अनुज्ञाप्तिधारी के अभ्यावेत्त को अस्तीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञाप्ति सं०-०३/२००६(कुमारखंड थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञाप्तिधारी श्री अजय कुमार सिंह पे० श्री विजय कुमार सिंह याम श्रीबगर पो० रामनगर महेश, थाना- श्रीनगर, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल शस्त्र अनुज्ञाप्ति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र कुमारखंड थाना मालायामा में पत्र प्राप्ति के २४ घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री अजय कुमार सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञाप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञाप्ति पंजी में “ रद्द ” प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Coment
12/03/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक १६ शस्त्र, दिनांक १२-०३-१४

प्रतिलिपि : पुलिस अधीकाक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाधाक, कुमारखंड/ श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अजय कुमार सिंह पे० श्री विजय कुमार सिंह याम श्रीबगर पो० रामनगर महेश, थाना- श्रीनगर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Coment
12/03/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।